

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/4832

भोपाल, दिनांक 27-10-2023

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 031/2023 BHO दिनांक 11.05.2023

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Component wise breakup of proposed land shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup के संबंध में ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में लेख किया गया है।
2	As per proposed area (22° 3'19.26"N, 76°7'43.57"E) in Sanawad range, it appears that approx. 934 meter the road already constructed. It shall be clarified.	वन मण्डलाधिकारी बड़वाह ने अपने पत्र दिनांक 18.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक संस्थान द्वारा बिना अनुमति के अवैध कार्य संज्ञान में आने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावद द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। आवेदक संस्थान द्वारा जो झाड़ी झुण्डी काटी गई थी, उसकी दुगनी राशि 42873/- वसूल की जाकर वन मण्डलाधिकारी बड़वाह के आदेश दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया है। वन अपराध प्रकरण कायम करने के पश्चात आज दिनांक तक मौके पर यथा स्थिति है, उसके पश्चात आवेदक संस्थान द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

-2-


3	In the proposed Khandwa range area, a building has been constructed (Coordinate: 21°53'27.22"N,76°10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है। इस प्रस्ताव हेतु उनके द्वारा पृथक से आवेदन किया जावेगा। इस प्रकरण में अब मात्र 3.20 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।
4	As per submitted full route KML of proposed area, it appears that some part of proposed route is overlapped with already approved proposal of 16.81 ha (FP/MP/ROAD/32174/2018). It shall be clarified.	आवेदक संस्थान द्वारा खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है।
5	Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted, w.r.t. Extent/Area of violation, Date of reporting of violation, Date when cognizance /action was taken, Authority on whose orders violation was committed. Action taken Report shall be submitted.	इस बिन्दु के पालन में जानकारी बिन्दु क्रमांक-2 में दी गई है।

प्रकरण में खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है। अब प्रकरण में 3.20 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। बड़वाह वन मण्डल के परिक्षेत्र सनावद के कक्ष क्रमांक 291 में 6.50 हेक्टेयर पर 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक राशि रु. 1,02,61,935/- की बनाई गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक खण्डवा ने अपने तकनीकी आदेश क्रमांक /279 दिनांक 26.09.2023 द्वारा जारी की गई है। उक्त योजना की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में 3.20 हेक्टेयर वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 27-10-2023

पृ. क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/4833

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल